रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 354] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 1975/भाद्र 17, 1897

No 354] NEW DELHI MONDAY, SEPTEMBER 8, 1975/BHADRA 17, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES
(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 8th September 1975

S.O. 487(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby, makes the following Order further to amend the Paper (Control of Production) Order, 1974, namely:—

1. (1) This Order may be called the Paper (Control of Production) Second Amendment Order, 1975.

(2) It shall come into force at once.

2. In clause 2 of the Paper (Control of Production) Order, 1974 (hereinafter referred to as the said Order), sub-clauses (a), (c), (f) and (h) shall be omitted.

3. In clause 3 of the said Order:—

(i) in sub-clause (b) for the figures and words "16 percent", the figures and words "15 percent" shall be substituted;

(ii) sub-clauses (c), (d), (e) and (f) shall be omitted.

4. For clause 5 of the said Order, the following clause shall be substituted, namely:—

"5. *Variation of the percentages specified in clause* 3.—Where the installed capacity of a manufacturer is not sufficient to manufacture paper according to the percentages specified in clause 3, he shall manufacture white printing paper

to the extent specified in sub-clause (a) of the said clause and cream laid or wove paper to the extent of the balance of his installed capacity available for the manufacture of paper".

5. In clause 6 of the said Order, after the words "Central Government may," the words "in the public interest or for the development of paper industry or", shall be inserted.

[No. 14(17)/75-Paper]

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1975

का० आ० 487(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कागज (उत्पादन का नियंत्रण) आदेश, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का नाम कागज (उत्पादन का नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 1975 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. कागज (उत्पादन का नियंत्रण) आदेश, 1974 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खण्ड 2 में उपखण्ड (क), (ग), (च) और (अ) का लोप किया जाएगा ।

3. उक्त आदेश के खण्ड 3 में :—

(i) उपखण्ड (ख) में, "16 प्रतिशत" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "15 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जायेंगे ।

(ii) उपखण्ड (ग), (घ), (ङ) और (च) का लोप किया जायेगा ।

4. उक्त आदेश के खण्ड 5 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"5. **खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट प्रतिशतता में फेरफार.**—जहां किसी विनिर्माता की अधिष्ठापित क्षमता खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट प्रतिशतताओं के अनुसार कागज का विनिर्माण करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वहां वह उक्त खण्ड के उपखण्ड (क) विनिर्दिष्ट सीमा तक श्वेत मुद्रण कागज का और कागज के विनिर्माण के लिए उपलब्ध उसकी शेष अधिष्ठापित क्षमता की सीमा तक क्रीम लेड या बोव कागज का विनिर्माण करेगा ।"

5. उक्त आदेश के खण्ड 6 में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के पश्चात्, "लोक हित या कागज उद्योग के विकास के लिए या" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 14 (17)/75-कागज]

S.O. 488(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Paper (Control of Production) Order, 1974 namely:—

1. (1) This Order may be called the Paper (Control of Production) Third Amendment Order, 1975.

(2) It shall come into force on the 1st day of October, 1975.

2. In clause 7 of the Paper (Control of Production) Order, 1974 for sub-clause (2), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(2) The white printing paper shall also conform to the specifications for white printing paper notified by the India Standards Institution from time to time and shall bear the ISI certification mark".

[No. 14(20)/75-Paper]

B. N. JAYASIMHA, Jt. Secy.

का० आ० 488 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कागज (उत्पादन का नियंत्रण) आदेश, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम कागज (उत्पादन का नियंत्रण) तृतीय संशोधन आदेश, 1975 है।

(2) यह 1 अक्टूबर, 1975 को प्रवृत होगा।

2. कागज (उत्पादन का नियंत्रण) आदेश, 1974 के खण्ड 7 में, उपखण्ड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड रखा जायेगा, अर्थात्:—

"(2) श्वेत मुद्रण-कागज, समय-समय पर भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित, श्वेत मुद्रण कागज के लिए विनिदर्शों के अनुरूप होगा और उस पर भा० मा० सं० का प्रमाणन-चिह्न होगा।"

[सं० 14(20)/75-कागज]

बी० एन० जयसिंह, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975